दिनांक–25.11.2015 को पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस परोपकारी कोष बिहार पुलिस शिक्षा कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष की हुई बैठक का वृत।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, भा0पु0से0 पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।	–	अध्यक्ष
2. श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय एवं विशेष शाखा), बिहार, पटना।	–	सदस्य
3. श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना।	–	सदस्य
4. श्री राजेश त्रिपाठी, भा0पु0से0 पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना।	–	अवैतनिक सचिव
5. श्री कृष्ण मुरारी सिन्हा पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना।	–	सदस्य
6. डॉ0 अजीत कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अस्पताल, पटना।	–	सदस्य
7. श्री दया कान्त झा, प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), पुलिस महानिदेशक कार्या0 बिहार, पटना।	–	सदस्य
8. श्री मृत्युजय कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार पुलिसएसोसिएशन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
9. श्री दीनबंधु राम, महामंत्री, बिहार पुलिसएसोसिएशन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
10. श्री निर्मल कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन बिहार, पटना।	–	सदस्य
11. श्री नरेन्द्र कुमार धीरज, महामंत्री, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
12. श्री दिनेश दूबे, संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, बिहार, पटना।	–	सदस्य
13. श्री अभय लाल, अध्यक्ष, बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संध, बिहार, पटना।	–	सदस्य

समिति का निर्णय :–

सर्वप्रथम पुलिस महानिदेशक महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन किया एवं दिनांक–18.05.15 की बैठक में लिए गये निर्णय की सम्पुष्टि की गयी।

2. बिहार पुलिस केन्द्रीय कल्याण समिति के परोपकारी कोष, शिक्षा कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष के अंशदान कटौती CTMIS के माध्यम से करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तबतक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जिला/ईकाई के प्रधान द्वारा यथा साध्य कोशिश कर अंशदान राशि नगद पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों/लिपिक से प्राप्त कर सीधे संबंधित कोषों के खाता में जमा कर जमापर्ची के साथ कर्मियों की सूची पुलिस मुख्यालय को प्राप्त कराने का निर्णय लिया गया।

3. दिनांक–18.05.2015 की बैठक के बाद विशेष परिस्थिति में बैठक की तिथि तक 32(बतीस) पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को कुल ₹ 4,46,000/–(चार लाख छियालीस हजार रू0) मात्र अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किये गये राशि को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया (सूची संलग्न है)।

4. बैठक में पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से ₹ 5,000/–(पाँच हजार रू0) मात्र से कम अनुदान राशि जिला/ईकाई के द्वारा तथा ₹ 5,000/–(पाँच हजार रू0) एवं ऊपर की राशि को केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। ₹ 5,000 से कम अनुमान्यता का केंद्रीय स्तर पर प्राप्त आवेदन जिला/इकाई को भेज दी जायेगी। राज्य स्तर पर ऐसे मामलों के विचारण हेतु अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय उप–समिति का गठन किया जायेगा।

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वित्त विभाग का संकल्प सं0–14/विविध–9/2015, ज्ञापांक–946 (14), दिनांक–14.08.2015 के द्वारा ₹ 50,000 तक जांचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के लिए वित्त प्रशाखा, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के द्वारा जिला/इकाई से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षा कर भुगतान की अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

6. पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से अनुदान प्राप्त करने हेतु 155 (एक सौ पचपन) आवेदनों पर समीक्षोपरान्त संलग्न सूची में उनके नाम के सामने अंकित राशि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

7. बिहार पुलिस परोपकारी कोष से सहायता अनुदान हेतु प्राप्त 44 (चौवालीस) प्रस्ताव पर विचार कर मृत्यु प्रमाण–पत्र अप्राप्त मामलों को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार राशि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

8. इण्टर (अंतरस्नातक) के लिए शिक्षा कोष से अनुदान को तत्काल समाप्त करते हुए ईजिनियरिंग, मेडिकल एवं एम0बी0ए0 के छात्रों को अनुदान राशि ₹ 1000/– से बढ़ाकर ₹ 1500/– प्रति माह एवं अन्य तकनीकी शिक्षा के लिए डिप्लोमा में निर्धारित राशि की अनुशंसा किया जाता है। भुगतान लाभार्थी के दो संतानों के लिए ही, शिक्षा कोष से सही अभिलेख के आधार पर सहायता प्राप्त करने की घोषणा प्राप्त कर किया जायेगा।

9. भविष्य में पुराने प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूर्व में नया प्रपत्र ई–मेल से भेजा जा चुका है। पुनः इसे परिचालित कराया जाय।

10. बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान के लिए प्राप्त 915 (नौ सौ पंद्रह) आवेदनों पर विचार कर संलग्न सूची के अनुसार राशि की अनुशंसा की जाती है।

11. तीनों कोषों के बचत खाता में शेष राशि का विवरणः–

(1) परोपकारी कोष बचत खाता में उपलब्ध राशि ₹ 3,49,96,796/–(तीन करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार सात सौ छियानवे रू0) मे से अनुशंसित राशि ₹ 6,54,000/–(छः लाख चौवन हजार रू0) मात्र के बाद ₹ 3,43,42,796/–(तीन करोड़ तेंतालीस लाख बेयालीस हजार सात सौ छियानवे रू0) शेष बचेगा।

(2) पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष बचत खाता में उपलब्ध राशि ₹ 1,26,85,297.95 –(एक करोड़ छब्बीस लाख पचासी हजार दो सौ संतानवे रू0 एवं पंचानवे पैसा) में से अनुशंसित ₹ 10,77,500/–(दस लाख सतहतर हजार पॉच सौ रू0) मात्र के भुगतान के बाद ₹ 1,16,07,797.95 –(एक करोड़ सोलह लाख सात हजार सात सौ संतानवे रू0 एवं पंचानवे पैसा) बचेंगे।

(3) शिक्षा कोष बचत खाता में उपलब्ध ₹ 1,71,32,838.41 –(एक करोड़ एकहत्तर लाख बतीस हजार आठ सौ अड़तीस रू0 एवं एकतालीस पैसा) में से अनुशंसित ₹

67,38,900/–(सरसठ लाख अड़तीस हजार नौ सौ) मात्र के पश्चात् ₹ 1,03,93,938.41 –(एक करोड़ तीन लाख तिरानवें हजार नौ सौ अड़तीस रू0 एवं एकतालीस पैसा) मात्र शेष बचेंगे।

12. सभी भुगतान लाभार्थियों का सभी कोषों में अद्यतन सहायता राशि प्राप्त कर किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा किसी भी कोष का दोबारा अथवा अमान्य तरीके से राशि प्राप्त किये जाने का मामला प्रकाश में आने एवं सत्य पाये जाने पर सहायता अनुदान की राशि सूद सहित कटौती उनके वेतन से एक मुस्त में कर ली जायेगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चायत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक
(मुख्यालय–सह–विशेष शाखा),
बिहार, पटना

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पु0म0नि0 के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना ।

पुलिस अधीक्षक,
वितंतु,बिहार, पटना ।

पुलिस महानिरीक्षक,
(बजट, अपील एवं कल्याण)
बिहार, पटना ।

प्रशाखा पदाधिकारी(लेखा),
पुलिस महानिदेशक कार्यालय,
बिहार, पटना ।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
पुलिस अस्पताल, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन
बिहार, पटना।

महामंत्री,
बिहार पुलिस एसोसियेशन
बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार पुलिस एसोसियेशन
बिहार, पटना।

अध्यक्ष, बिहार पुलिस
अनुसचिवीय
कर्मचारी संध, बिहार, पटना।

संगठन महामंत्री
बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन
बिहार, पटना ।

महामंत्री
बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 31 /लेखा
116–01–01–2015
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 05–01–16

प्रतिलिपिः–

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार,/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक, (वितंतु)/(अ0)/विशेष शाखा/(सी0)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्री मंडल निगरानी/आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अध्यक्ष,/महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन/अध्यक्ष/महामंत्री/संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेंन्स एसोसिएशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
9. प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा/लेखापाल, कल्याण कोष पटल, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
10. महामंत्री बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संध, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।